न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी।

पीठासीन अधिकारी–शिव कुमार सिंह (एच0जे0एस0)

I.DNo-UP 5743

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1250 / 2026

कम्प्यूटर पंजीकरण संख्या–2699 / 2026

CNR No. UPLP 0100 5725-2026

1. राम नरेश पुत्र श्री कनौजी लाल (ससुर)

2. श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री राम नरेश (सास)

निवासीगण ग्राम चन्दपुरा थाना पढुआ, तहसील धौरहरा, जिला लखीमपुर–खीरी।

बनाम

उ0प्र0 राज्य

मु0अपराध संख्या–009 / 2026
धारा–85, 80(2) बी0एन0एस0 एवं
धारा 3 / 4 डी0पी0 एक्ट,
थाना–पढुआ, जिला लखीमपुर खीरी।

04.08.2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र, प्रार्थी / अभियुक्तगण राम नरेश तथा श्रीमती निर्मला देवी की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–009 / 2026, धारा–85, 80(2) बी0एन0एस0 एवं धारा 3 / 4 डी0पी0 एक्ट, थाना–पढुआ, जिला लखीमपुर खीरी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी / अभियुक्तगण द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रार्थी / अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इसके पूर्व सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र दिया है और न ही सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है।

3– संक्षिप्त अभियोजन कथनानुसार वादिनी मुकदमा आरती देवी द्वारा संबंधित थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की पंजीकृत करायी गयी कि उसने अपनी लड़की लक्ष्मी देवी की शादी दुर्गेश कुमार के साथ हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार दिनॉक 08 मई 2025, को की थी। उसने शादी में बाईक सहित काफी अन्य दान–दहेज उपहार दिया था, लेकिन उसका दामाद अपने पिता रामनरेश, चाचा सर्वेश, चचेरा भाई कुनाल, सगा भाई मनीष कुमार व माता निर्मला देवी के बहकावे में आकर उसकी लड़की से अतिरिक्त दान–दहेज की मांग करता था व मारता–पीटता तथा काफी प्रताड़ित करता

था। दिनॉक–07.12.2025, को समय करीब दोपहर 11:00 बजे विपक्षीगण ने मिलकर मारा–पीटा था, जिससे उसकी पुत्री की मृत्यु हो गयी। घटना की सूचना जब उसे प्राप्त हुयी तो वह थाना पढुआ पर सूचना देकर अपनी लड़की के शव का पी0एम0 करवाया। वादिनी की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर प्रार्थी/अभियुक्तगण व अन्य सह अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा विवेचना प्रचलित है।

4– प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मूल आधार यह लिये गये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा किसी प्रकार का कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण पूर्णतया निर्दोष हैं। प्रार्थी/अभियुक्तगण को उक्त मुकदमा अपराध में आशंका व झूठा फंसाया गया है। मृतका लक्ष्मी देवी की शादी दिनॉक–08.05.2025 को दुर्गेश सिंह के साथ हुयी थी। प्रार्थी/अभियुक्तगण के द्वारा कभी भी किसी प्रकार की कोई दहेज की मांग नहीं की गयी तथा किसी प्रकार से कोई क्रूरता कारित नहीं की गयी है। वास्तविकता यह है कि मृतका दिनॉक–07.12.2025, को अपने माता–पिता से बात करने लगी, बात करने के बाद लगभग 10:00 बजे दिन में उसको चक्कर आया और वह गिर गयी, जिसको उपचार हेतु प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ढखेरवा चौराहा ले जाया गया तथा पीड़िता के माता–पिता को भी सूचना दी गयी। उपचार के दौरान उसको जिला अस्पताल लखीमपुर–खीरी के लिए रेफर कर दिया गया परन्तु रास्ते में मृत्यु हो गयी। ससुर रामनरेश के प्रार्थना–पत्र पर थाना पढुआ की पुलिस द्वारा पंचनामा किया गया व उसी दिन पोस्टमार्टम के लिए भेजा जो दिनॉक–08.12.2025, को पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें मृतका के शरीर पर कोई भी चोट नहीं पायी गयी। मृतका का अंतिम संस्कार मृतका के माता–पिता की मौजूदगी में किया गया। 29 दिनों के बाद मृतका की माता श्रीमती आरती देवी ने दिनॉक–05.01.2026, को थाना पढुआ, जिला खीरी में मु0अ0सं0–009/2026 सुनी–सुनायी बातों में आकर झूठे तथ्यों के आधार पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है, जबकि पुलिस को शपथपत्र दिया कि हम कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। मुकदमा वादी को मृतका की मृत्यु की जानकारी थी फिर भी 29 दिनों के बाद प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनॉक–05.01.2026 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है, जिसके विलम्ब का कोई उचित स्पष्ट कारण नहीं दिखाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण से मुकदमा वादिनी व उसके पति अशोक कुमार व उसके ससुर छोटे लाल ने समस्त उपहार का

सामान पिकअप में लदवाकर अपने घर भेज दिया तब मृतका का शव दाह–संस्कार के लिए लाने दिया था तथा अन्तिम संस्कार में सभी शामिल रहे। दिनॉक–23.01.2026, को मुकदमा वादिनी व उसके पति द्वारा बिना किसी दबाव व अपनी अंतरात्मा की आवाज पर पुलिस अधीक्षक लखीमपुर–खीरी को प्रार्थना–पत्र मय शपथपत्र दिया कि हम प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज सभी लोगों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं, क्योंकि सभी निर्दोष हैं। कदाचित हमने अपनी पुत्री का विवाह उसकी मर्जी के विरूद्ध कर दिया था। प्रार्थी/अभियुक्तगण अपने परिवार के साथ रहते हैं व राम में काफी दूर रहते थे। यह लोग अपनी बहू से कभी भी दहेज की मांग नहीं किया व प्रताड़ित नहीं किया है। मुकदमा उपरोक्त में किसी अभियुक्त के विरूद्ध कोई विशेष आरोप नहीं है, सभी अभियुक्तगण के विरूद्ध समान आरोप लगाये गये हैं। घटना का कोई स्वतंत्र साक्ष्य या प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण शांतिप्रिय नागरिक है व कानून का पालन करने वाले हैं तथा कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण के फरार होने की कोई संभावना नहीं है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर मृतका से अतिरिक्त दहेज में पचास हजार रूपये की मांग की गयी और मांग पूरी न होने पर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया तथा विवाह के सात वर्ष के अन्दर ही उसकी दहेज मृत्यु कारित की गयी है। प्रार्थी/अभियुक्तगण मृतका के क्रमशः ससुर व सास हैं। अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6– जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से प्रथमदृष्टया विदित है कि प्रार्थी/अभियुक्त रामनरेश मृतका का ससुर तथा प्रार्थिनी/अभियुक्ता निर्मला देवी मृतका की सास है और तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित हैं। मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के अन्दर ही असामान्य परिस्थितियों में ससुराल में कारित हुयी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका की मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने के कारण विसरा के भागों को संरक्षित कर जॉच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला

भेजा जाना परिलक्षित है। वादिनी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 बी0एन0एस0एस0, में प्रार्थी/अभियुक्तगण व अन्य सह अभियुक्त द्वारा मृतका से अतिरिक्त दहेज में पचास हजार रूपया नगद की मांग किये जाने, मांग पूरी न होने के कारण मृतका को मारने–पीटने, खाना, दवा, इलाज आदि की तकलीफ देने तथा मृतका को जहर देकर उसकी दहेज मृत्यु कारित किये जाने का कथन किया है। पत्रावली पर प्रार्थी/अभियुक्तगण की संलिप्तता हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

8– अतः मामले के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर, प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत दिये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है और प्रार्थी/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्तगण राम नरेश तथा निर्मला देवी द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है। जमानत आदेश की एक–एक प्रति प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाए।

(शिव कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर खीरी।
I.DNo-UP 5743

दिनॉक–04.08.2026

Digitally signed by SHIVA KUMAR SINGH
Date: 2026.08.11 10:48:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court